भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

कमला राज शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट

ग्राम व पोस्ट–गौवापार, तह0–बेल्थरा रोड, जिला–बलिया (उ0प्र0) 221716

यह न्यास विलेख आज दिनांक 20/11/2017 को तहसील बेल्थरा रोड, जिला–बलिया में श्री अक्षयलाल यादव, उम्र 44 वर्ष पुत्र श्री राजबल्लम यादव, ग्राम व पोस्ट गौवापार, तह0 बेल्थरा रोड, जिला बलिया (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया 5000.00/– मात्र की राशि है। जिसे पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा रखता है। न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक उक्त राशि के प्रति न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो विशेष रूप से समाज उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपकरण, ऋण आदि को सम्मिलित करेंगे जिससे द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पत्ति एवं साधन को और बढ़ाया जा सके। ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके। अतः न्यासकर्ता/मुख्य संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया 5000.00/– नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान किये हैं।

(1)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु. 50 Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत एवं परिषद विनियमों के अध्याय सात में विनियम – 6 के पश्चात संशोधित स्वरूप नवीन विनियम 6(ख) के अनुसार कार्यरत ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जा रहा है–

ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत है :

ट्रस्ट (न्यास) का नाम – कमला राज शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता – ग्राम व पोस्ट गौवापार
तह0–बेल्थरा रोड
जिला–बलिया (उ0प्र0) 221716

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पो0 गौवापार तह0 बेल्थरा रोड, जिला बलिया (उ0प्र0) है। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है–

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

1. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व–प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय, विद्यालयों, कान्वेन्ट विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों

(2)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BN 458496

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संस्कृत विद्यालयों बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग मूक–बधिर, विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षाकेन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, आँगन बाड़ी, आंगन बाड़ी पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान विद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों, बालिका विद्यालयों महाविद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

2. निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों बालसंरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

3. बाल श्रमिकों को चिन्ही करण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

4. विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का व वितरण करना।

5. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीनबुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य वाद्य, कला, नृत्य मोटर ट्रेनिंग

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BN 458501

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए.सी. रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्सरे, टेक्नीशियन, लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज, नृत्यथियेटर, माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट, बिजनेस डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग पेंटिंग, आई० टी० आई०, बाम्बे आर्ट, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

6. जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों, प्रवचन, सभाओं, अध्ययन शिविरों, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना एवं संचालन करना।

7. नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

8. गरीब, हरिजन, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना व उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

9. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा इन वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु [illegible] अस्पतालों, प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 45850[illegible]

10: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू0 एच0 ओ0, सिडवी, कपार्ट, नवार्ड, नोराड, हुडा, सूडा, डवाकरा अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार, स्वजल धारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।

11: बालक/बालिकाओं, कलाकारों, के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय–समय पर खेलों, सेमीनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना

12: भारत सरकार, प्रदेशसरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना।

13: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

14: मात्र शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह–जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, टीकारण शिविरों, पल्सपोलियो शिविरों, हेपेटाइटिस शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

15: कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया सलाई, वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, बिस्कुट, नील,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 458504

चाय,कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षणकेन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

16: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गाँजा, अफीम, भाँग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचानेहेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

17: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

18: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0 की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

19: कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना

20: युवाओं की माँगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना।

21: दैवीय आपदा यथा बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा–इलाज, आवास वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 458505

22: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतो एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार–प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

23: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

24: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अर्न्तगत स्वास्थ्यविभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।

25: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानो में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण करना एवं समय–समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना।

26: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार, कर्तव्य सहायता, आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाई चारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 458506

27: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहे मलेरिया, एड्स, कैंसर टी०बी० चेचक आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

28: सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।

29: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना।

30: गाँवो में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह–जगह शौचालय जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह–जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

31: औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आर्युवेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनकी गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

32: गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक–पृथक शादी विवाह कराना व उनकी विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 458507

33: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयन्त्रों, खादों, बीजों कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

34: जेट्रोफा (डीजल का पौधा) (रतन जोत) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना। उपलब्ध का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र जारी का प्रयास करना।

35: जीव–जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना, तथा जीव–जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना।

36: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा अध्यात्म व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना

37: जेटोफर के बीज का किसानों को उचित मूल्य दिलवाना एव उसका क्रय–विक्रय करने का प्रयास करना।

38: आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण एवं उनकी देख–रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार करना तथा जगह–जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक

35AA 121386

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना

39: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा 12 (क) एवं 80 जी (5) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

40: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कब्रिस्तान व मस्जिद चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना।

41: मौलवी तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों, भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना

42: धर्म का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भोजन तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

43: कब्रिस्तान व मस्जिद के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा वृक्षारोपण करवाना तथा उससे अर्जित धन को कब्रिस्तान व, समाज विकास व अन्य चैरिटेबुल कार्यों का प्रयास करना।

44: कब्रिस्तान व मस्जिद के मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण व सुरक्षा करना

45: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौलवी जो कि असहाय हों, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 121387

46: भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय–विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

47: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करना।

48: किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार विदेशी सरकार से सहायता दान, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

49: कार्यक्षेत्र के अंर्तगत धर्म से सम्बन्धित निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

50: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना।

51: सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड, डंडा मैन, गन मैन लेबर, कर्मचारी , आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना

52: कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौसमी जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 121387

46: भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय–विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

47: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करना।

48: किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार विदेशी सरकार से सहायता दान, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

49: कार्यक्षेत्र के अंर्तगत धर्म से सम्बन्धित निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

50: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना।

51: सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड, डंडा मैन, गन मैन लेबर, कर्मचारी , आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना

52: कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौसमी जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

(11)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 121388

53: मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र–छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना।

54: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मक्तबों, तहतानिया, फौकानियाँ, आलियाँ, हाफिज, कारी, मुन्शी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफ्ती निस्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

55: मंदिर की देख–भाल, पूजा साफ–सफाई, जीर्णोद्धारा से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।

56: साधु–संतों तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों में भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना।

57: धर्म का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भेजना तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

58: मंदिर के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा धर्मशाला निर्माण व मरम्मत करवाना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर एवं धर्मशाला विकास व चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

35AA 421389

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59: मंदिर एवं धर्मशाला के अन्तर्गत आने वाले चढ़ावे, चन्दा, दान, अनुदान, ऋण, सरकारी गैर सरकारी तथा जनता आदि के मदद से प्राप्त धन का यज्ञ, हवन, पूजा, प्रसाद, मंदिर विकास एवं सामूहिक भोज आदि कार्यों में व्यय करना

60: मंदिर एवं धर्मशाला परिसर में स्थिति मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण, सुरक्षा करना।

61: मंदिर परिसर के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध साधु–सन्त, पुरुष महिला जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए कार्य करना।

62: मंदिर की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, मंदिर परिसर के अन्तर्गत विवाह मंडप (मैरिज हाल) की स्थापना एवं संचालन करना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर विकास में व्यय करना।

63: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सतसविदास पूजा महाशिव रात्री आदि के समय मेले का आयोजन एवं संचालन करना।

64: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक, नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 121390

65: गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना।

66: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुषांगिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना।

67: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल, और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा, दान, अनुदान, वसीयत और धरोहरी की योजना प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

68: संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सुखाधारी, तथा चल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित का दान, क्रय-विनियमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

69: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर-फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, नाली, पानी फर्नीचरों, जुड़नारों, यंत्रों, उपकरणों, सविधो से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है। उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 121391

70: संस्था से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का क्रय विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, किनाइस, पट्टा अथवा किराये पर लेना निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहारकरना संस्था से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहारकरना संस्था से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भारग्रस्ति या गिरवी रखना

71: संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक/बैंको में खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंको के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।

72: संस्था की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाएँ खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

73: संस्था की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रासंगिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

74: संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उसे सदस्यों को नहीं बांटा जायेगा।

75: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व0प्र0 खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रों एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन कराके बेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से स्थापित करने का प्रयास करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121392

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

76. खादी का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादीकमीशन, केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

77. केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास में कार्य करना।

78. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना।

79. कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।

80. क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनायें बनाना तथा कार्यक्रम चलाना

81. क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवित्तयों एवं पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्रीज) के विकास/प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

82. मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121373

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83. मत्स्य पालन हेतु तालाबों, पोखरों आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन कर देश व जनता के विकास करने हेतु प्रयास करना।

84. मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

85. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ–सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।

86. मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना

87. मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना

88. मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना

89. समयानुसार सामाजिक विकास हेतु बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एड०, डी०पी०एड०, बी०टी०सी०, यू०टी०सी०, एन०टी०टी०, बी०एस०एड, डी०एल०एड०, डी०एड०, एम०एड शिक्षक प्रशिक्षण आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

90. उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 1213[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, इन्दिरा मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापरा व संचालन करना।

92: पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिंगहोमों, फार्मेसी, पैथौलाजी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिर्थी, नर्स, ए०एन०एम०, जी०एन०एम० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों, मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों, एल०एल०बी०, एम०एस०एम० कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का करना।

93: गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत एवं पशुपालन के माध्यम से भारत [illegible] सुखी सम्बृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।

94: गोवंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध को वध से बचाने का प्रयास करना।

95: सम्पूर्ण गोवंश को कसाईयों एवं गोवंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना।

96: तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोवंश एवं पशुधन अपने अभिरक्षा में लेकर भरण–पोषण एवं सेवा सुश्रुषा करना।

97: गोवंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को [illegible] दिलाने का प्रयास करना।

98: गोवंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना, जिसमें दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना।

(18)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121370

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

99: पंच गव्य (गाय का दूध, दही, गोमुत्र, गोबर, गोघृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती, साबुन, दंत मंजन पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना

100: उत्तम जाति के सांडों के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना।

101: हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख जैन, बौद्धों आदि धर्मों के लोगों को संगठित करना तथा सब आदि के लिए गुरुद्वारा, मस्जिद, मन्दिर, मुसाफिरखाना निर्मित कराना और [illegible] महाविद्यालय की स्थापना करना

102: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

103: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत संस्कृत विद्यालयों, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा विद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

104: स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

105: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

(19)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121371

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

106: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

107: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहे मलेरिया, कालाजार, डेंगू बुखार जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रक्षित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०, चेचक, गिनी कृमि, खाज आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों कोप्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाय विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना

108: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब असहाय, लोगों को भोजन, चिकित्सा, आवास, वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

109: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत बौद्ध बिहार स्थापन व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध बिहारों की देख–भाल, सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

110: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

111: अम्बेडकर जयन्ती, कांशीराम जयन्ती, संत रविदास जयन्ती आदि समारोह विशेषकर वार्षिक श्रृंगार आदि को धूम–धाम से मनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

(20)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 12137

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

112: भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाओं, बौद्ध बिहारों आदि का जीर्णोद्धार, निर्माण, सुन्दरीकरण सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

113: भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं व बौद्ध बिहार के जीर्णोद्धार की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

114: बौद्ध बिहार में आने वाले आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों, स्वच्छ पेय जल, शौचालय मूत्रालय आदि का प्रबन्ध करना।

115: बौद्ध बिहार की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना।

116: समय–समय पर बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना।

117: बौद्ध धर्म से जुड़े सभी संस्कारों का सम्पादन करना तथा विभागीय अनुमति से प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

118: बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना।

119: दलित, शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता, अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

120: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना।

(21)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

121: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।

122: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि क एकजुट कर.उनकी मांगों सद्भाव पूर्वक सरकार से हल कराने का प्रयास करना।

123: सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनकी सुविधाओं को समिति के माध्य से दिलाने का प्रयास करना।

124: सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरुद्ध आवा उठाना तथा उन्हें एक जुट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखना अथ कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना।

125: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों मृ स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना।

126: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्र करना।

127: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित सम कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र(डेयरी) की स्थापना संचालन करना।

128: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उ सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्र करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121375

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिये कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

130: राज्य सरकार, केन्द्र सरकारी, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण आदि भिन्न विभागों द्वारा जारीजनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

131: पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों, सीमेन्ट ईंट का निर्माण, मिट्टी ईंट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना।

132: बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खादान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

133: शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्र पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।

134: मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना।

135: ट्रस्टहित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय–विक्रय (बेचना व खरीदना) दान, बंधक, एग्रीमेन्ट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्यट्रस्टी को होगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

136: कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आई०टी०आई०, पालिटेक्नीक इंजीनियरिंग, कालेजों, मेडिकल कालेजों आदि संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।

137: किन्नरों के उत्थान हेतु कार्य करना एवं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास करना तथा उनके शैक्षणिक विकास के लिए विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना व कराना।

138: योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध

1: वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण दिनांक   से अक्षयलाल यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है।

2: यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चत नहीं किया जाता है तो उनके पश्चात् उनकी पत्नी/पति/पुत्र जो हो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। यदि उनके पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनके पति/पत्नी, इस ट्रस्ट के तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगे जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

3: वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहें, अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121377

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4: मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चत कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

5: यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालेंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

6: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने, अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय के विचार पर पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक की वास्तविक रूप से कार्यभार उपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्य भार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 121378

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

1: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने और अलग अलग संस्थाएं संचालन हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे, आवश्यक होने पर तीन पदेन सदस्य होंगे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उप सचिव, एक कोषाध्यक्ष और तीन पदेन सदस्य होंगे तथा इण्टरमीडिएट एजुकेशनल एक्ट के अनुसार भी पाँच पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष, सात सदस्य तथा तीन पदेन सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति पदोन्नति/निष्कासन/समाप्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने विवेक से स्वयं कर सकता है जिसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में किसी भी सदस्य/पदाधिकारी/कर्मचारी को कोई विवाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

2: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी /मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रुपया 10000 जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा या उसके कार्यकाल का निर्धारण ट्रस्टी प्रबन्धक स्वयं कर सकता है।

3: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कारण बताये बिना उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है। जिसके खिलाफ किसी भी माननीय न्यायालय में किसी भी सदस्य या कर्मचारी को कोई वाददायर करने का अधिकार नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 121379

4: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी (सदस्यों) की बैठक बुला सकता है। जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक ही करेंगे।

5: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हें विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/ मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

कार्यकाल

1: ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त रहेगा। वह जब तक जीवित रहेगा अपने मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक पद पर बना रहेगा। संस्थापक/मुख्यट्रस्टी के अन्त के बाद मुख्यट्रस्टी की पत्नी /पुत्र/पुत्रवधु/ पौत्र/ पौत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी का पद धारण करेंगे। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी मुख्य/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने इच्छा अनुसार जीवन काल में ही यदि चाहे तो अपने उत्तराधिकारी को मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी बना सकता है।

2: मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121380

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट से प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा।

कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार, अनुदान, दान, चन्दा, ऋण आदि प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व सलाह दे सकता है। अथवा ट्रस्ट विश्व के किसी भी राष्ट्र में अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य का संचालन कर सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट का अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।
2. ट्रस्ट या संस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्य को बिना कारण बताये मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वारा निकाला जा सकता है। जिसमें किसी को आपत्ति नहीं [illegible] एवं उस पद पर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121382

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

1. बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिए कर्मचारियों/पदाधिकारियों/सदस्यों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट में उद्देश्य एवं नियमावली के संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक का होगा जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनाक से मान्य होगा।

खाता संचालन की व्यवस्था :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है। इस स्थित में स्वयं मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता का संचालित किया जा सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121383

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विधिक कार्यवाही

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो, मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं ट्रस्टी अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकार

1. ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट/संस्था की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/ संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय रेहन कर सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है।

(31)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

35AA 121384

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संस्था, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान, उपहार, चन्दा, आग्रह, भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है।
6. ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकती है तथा ले अथवा दे सकता है।

विशेष

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक–पृथक रूप से मुख्यट्रस्टी कर सकता है।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्धक समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी कारण वश विलम्ब होता है तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।
3. नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ [illegible] के उद्देश्य व नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है।

(32)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 557372

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी अन्य परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी प्राविधानो को शिथिल कर सकता है। तथा प्राविधानो के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख अन्य उसमें सन्निहित सभी उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित, आत्म समर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

5. विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिकों/श्रमिकों जिन्हें बन्धक बनाकर मानवीय जीवन जीने के लिये मजबूर किया गया है अथवा उनके ऊपर अन्य प्रकार से सरकार/नियोक्ता द्वारा अन्याय/अत्याचार किया जा रहा है/मानवाधिकारों का हनन हो रहा है/धार्मिक स्वतन्त्रता को बाधित किया जा रहा है तो ट्रस्ट ऐसे नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कर उन्हें स्वतन्त्र कराने का अनुरोध करेगा तथा स्वदेश वापसी पर उनके पुर्नवास की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

6. यह ट्रस्ट भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगति धाराओं का अनुपालन करता रहेगा।

अतिरिक्त नियमों का समावेश

निम्न लिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है –

क. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत [redacted] कमला राज इन्टर कालेज,गौवापार, बलिया चलाया जाएगा जिसके मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक/प्रबन्धक अक्षय लाल यादव होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत TEN RUPEES Rs.10 INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AD 772

ख. विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा।

ग. विद्यालय की प्रबन्धक समिति में ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य होगा।

घ. विद्यालय में कम से कम 10% स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ङ. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सांसद, विधायक व विकास निधि से अनुदान की मांग की जाएगी। यदि विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है।

च. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे।

छ. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।

ज. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे संस्था उनका पालन करेगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AD 571337

झ. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ञ. उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क्र0सं0 क से ञ तक हमें स्वीकार है। उक्त शर्तों को मेरे द्वारा बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगी।

उक्त ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के पढ़ समझ कर गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर बनाया गया।

वर्तमान में ट्रस्ट/न्यास के पास 5000/– रू0 के अतिरिक्त कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के स्पष्ट हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

27AD 571342

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक के स्पष्ट हस्ताक्षर

गवाह – 2

गवाह – 1

टाईपकर्ता – मनीष कुमार

मनीष कम्प्यूटर्स रसड़ा, बलिया

मसविदा कर्ता –

रजि0 नं0 – 2059/93

तहसील – बेल्थर रोड, बलिया

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)